

S.N. 196
10/1/10/12



प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

35 दरहार गुजारी (निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अफिसर
के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, कुलदीप पुत्र/पुत्री/पत्नी तारा-दाना
आयु ३५ वर्ष, जो श्रीमति ललूर डॉ धनउर हिंदू
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

- मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-
 - गामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं
 - पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य
 - संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है
 - न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई
 - तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गये थे
 - क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं
- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

३५/८८

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है

(iii) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले)

(iv) राज्य

(v) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले)

(vi) राज्य


(vii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का

संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

(viii) तारीख (तारीखे) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे

(ix) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं.....


स्थान हरिदwar
तारीख 10.1.12



अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूं कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वर्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्पर्य बात छिपायी नहीं गयी है।

हरिदwar स्थान पर आज तारीख 10.1.12 को सत्यापित किया।


Nisha Sharma
NOTARY ADVOCATE
GOVT. OF UTTARAKHAND


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :— इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND



Nisha Sharma
10/11/012
NISHA SHARMA
NOTARY ADVOCATE
GOVT. OF UTTARAKHAND
HARIDWAR

306/11